

सार्वजनिक सूचना

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना संख्या:- सा0का0नि0571(अ) के माध्यम से विभिन्न Single Use Plastic से निर्मित उत्पादों (75 माईक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर दिनांक 30.06.2022 से पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया है।

तदक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत भीमताल क्षेत्रान्तर्गत उक्त अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निशेध किया जाएगा :-

- (क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री।
- (ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टीयरर किसी भी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति, व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर पालिका द्वारा नियम संगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।



अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत भीमताल
नैनीताल



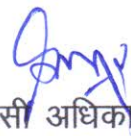
अध्यक्ष
नगर पंचायत भीमताल
नैनीताल

कार्यालय नगर पंचायत भीमताल, नैनीताल।

पत्रांक- 106 / निविदा / न0प0 / 2022-23

दिनांक- 25 .06.2022

- विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण हल्द्वानी को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञापन को न्यूनतम स्थान पर सरकारी दरों में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु 02 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- निकाय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु
- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।



अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत भीमताल
नैनीताल।